

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 31-21/2016/सत्ताईस-एक

भोपाल, दिनांक दिसम्बर, 2016

उपाध्यक्ष,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण,
नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:- भीकनगांव-बिन्जलवाडा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति।
संदर्भ:- सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल का पत्र क्रमांक 159/55.04/27/न0नि0म0/16, दिनांक 30.11.2016.

--00--

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 55 वीं बैठक दिनांक 29.10.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा भीकनगांव-बिन्जलवाडा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना हेतु राशि ₹ 745.00 करोड़ (₹ सात सौ पैतालिस करोड़) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

—84—

(एस.के.बघेल)

अवर सचिव

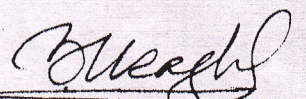
मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

पृ0क्रमांक एफ 31-21/2016/सत्ताईस-एक
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

1. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
 2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
 3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
 4. सदस्य (अभियांत्रिकी)/(वित्त) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
 5. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
 6. महालेखाकार भोपाल/ग्वालियर मध्य प्रदेश ।
 7. सचिव नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
 8. मुख्य अभियन्ता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद ।
 9. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर उक्त आदेश वेबसाइट पर दर्ज करने हेतु अग्रेषित ।
 10. निज सचिव, अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
 11. आर्डर बुक ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन